

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

पत्रांक: सा0- ५५३ /मी०क्ष०/३३ दिनांक, मीरजापुर, जुलाई ०५-०७-२०१५

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय:- जनपद सोनभद्र में डा० राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कनहरा से पूरबटोला सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.३० हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा का पत्रांक-५०६/ओबरा/ १५ दिनांक २३.०७.२०१५।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा ने विषयक के सम्बन्ध में उल्लिखित आपत्ति का निवारण कर संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है जिसकी छायाप्रति संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(फै०एम०ठा०पुर)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
पत्रांक- 566 / ओबरा / 15 भू.रू. दिनांक- 23-7 2015.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद सोनभद्र में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कनहरा से पूरबटोला सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.30 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उ०प्र० शासन का पत्र संख्या पी 7 / 14-2-2015-800(66) / 2015 दिनांक-08.07.2015, जो आन लाईन आपत्ति लगाई गयी थी।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उ०प्र० शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा दो बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार कर दिया गया है:-

1. वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफ०आर०ए०) से सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र की मूल प्रति इस कार्यालय का पत्रांक-268 / ओबरा / 33 वन्दो० दिनांक-13.07.2015 द्वारा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 53, 54, 55 पर संलग्न प्रमाण पत्र पर प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक -15.07.2015 को मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ तथा विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 53, 54, 55 पर संलग्न प्रमाण पत्र पत्र मोहर लगा दिया गया है।
अतः रिपोर्ट सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(राम अवतार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।